

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठारीन अधिकारी-श्री यशार्थ शेखर, आई.ए.एस

क्रमांक रीडर/2025/10151
प्रार्थी

बनाम

दिनांक - 31/12/25
अप्रार्थीगण

1 पुनमाराम पुत्र गोमाराम जाति सुथार
निवासी प्रहलादसर, सांजटा तहसील
बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।

1 तेजाराम पुत्र राजुराम 2 हड्डुमानराम 3
रामाराम पिसारान किशनाराम 4 रामाराम पुत्र
लच्छाराम 5 किस्तुरी देवी पत्नि मुलाराम
जातियान सुथार निवासी प्रहलादसर, सांजटा
तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :-521/2025 दिनांक- 23/12/2025

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा प्रहलादसर पटवार हल्का सांजटा तहसील बाड़मेर ग्रामीण के
खसरा संख्या 924/536 रकबा 1.2257 हैक्टेयर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए
नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त
नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए
एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व
विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में
नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र
निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा

(यशार्थ शेखर)

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

दिनांक- 31/12/25

क्रमांक :- रीडर/2025/10152-55

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी सांजटा तहसील बाड़मेर ग्रामीण को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपरिथत रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी पुनमाराम पुत्र गोमाराम जाति सुथार निवासी प्रहलादसर, सांजटा तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण तेजाराम पुत्र राजुराम वगैराह जातियान सुथार निवासी प्रहलादसर, सांजटा तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।



उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर
बाड़मेर